रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 263] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 1987/ज्येष्ठ 9, 1909

No. 263] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 1987/JYAISTHA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 1987

अधिसूचना

का. आ. 540 (अ) :—दमण और दीव (प्रशासन) विनियम, 1987 (1987 का 2) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मई 1987 के 30वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से उक्त विनियम प्रवृत्त होगा।

[सं. यू. 11026/1/87-यू. टी. एल.]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th May, 1987

NOTIFICATION

S.O. 540(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Daman and Diu (Administration) Regulation, 1987 (2 of 1987), the Central Government hereby appoints the 30th day of May, 1987 as the date on which the said Regulation shall come into force.

[No. U. 11026/1/87-UTL]

ASHOK NATH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987